

F.No55/13/2023 .-P&PW(C)(Part1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, dated 11.09.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of nomination for Arrears of Pension and Commutation of Pension after introduction of Single Pension Application Form 'Form 6-A' for Central Government civil employees.

The undersigned is directed to refer to the Department of Pension and Pensioners' Welfare notification dated 16.07.2024 whereby Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 were amended and a new Single Pension Application Form 'Form 6-A' was introduced for submission by **retiring** Central Government civil employees for sanction of pension under these rules. This Application 'Form 6-A' has replaced the existing 'Form 6' and also prescribed submission of nomination, family details, undertaking to banks and other details in the single form.

2. The Department of Pension and Pensioners' Welfare vide notification dated 28.03.2014 had introduced a Common Nomination Form 'Form- A' for submission of nomination for Arrears of Pension and Commutation of Pension by the Central Government civil employees.

3. The new Single Pension Application Form 'Form 6-A', to be filled by **retiring** Central Government employees includes details of nomination for the Arrears of Pension and Commutation of Pension. Therefore, **retiring** Central Government employees are required to submit the nomination for these benefits in Form 6-A from the date of its effect as per notification dated 16.07.2024. The Common Nomination Form 'Form A' shall not be required to be submitted along with the Form 6-A.

4. However, the Central Government pensioners/family pensioners shall continue to submit nomination for Arrears of Pension/Family Pension and Commutation of Pension in Common Nomination Form 'Form A' in the cases where the nomination is submitted separately after the retirement or for any subsequent change in the nomination made earlier by the Central Government pensioner/family pensioner.

5. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached Offices under them.

6. Formal amendments to the CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 and the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in terms of the decisions contained in this order will be issued in due course.

Encl:

1. Copy of Notification No. GSR 410 (E) dated 16.07.2024
2. Copy of Notification No. GSR 235 (E) dated 28.03.2014

विशाल

(Vishal Kumar)

Under Secretary to Govt of India

Ph No. 24644634

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
5. NIC for posting on the website of this Department



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255464
CG-DL-E-16072024-255464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 373]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 410(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ पच्चीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 के उपनियम (15) के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के समय, प्ररूप 6-क में कुटुंब के अद्यतित व्यौरे पुनः प्रस्तुत करेगा।”

- उक्त नियमों के, नियम 53 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले पर ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं, केवल ई-एचआरएमएस (अधिवर्षिता मामलों में) के माध्यम से प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं तथा अधिवर्षिता से भिन्न सभी मामलों में (अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन, अशक्तता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा सेवा से पदच्युति या हटाया जाना), प्ररूप 6-क भविष्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।”;

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में “भविष्य” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस)”।

4. उक्त नियमों के, नियम 57 में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (ग) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सलाह”;

(ख) उपनियम (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेगा।”;

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः “प्ररूप 4 और प्ररूप 6” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा;

(घ) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां उक्त प्ररूप पति-पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को सरांशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के अनुसार ऐसे सरांशीकरण के लिए बाद में स्वयं आवेदन नहीं करता।”

5. उक्त नियमों के, नियम 58 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) ऐसा सरकारी सेवक जो, अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त हो रहा हो या हुआ हो, यथास्थिति ऐसी सेवानिवृत्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के या ऐसी सेवानिवृत्ति के प्रभावी होने अव्यवहित पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेगा।”;

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में “प्ररूप 4 और प्ररूप 6” के स्थान पर क्रमशः “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा।

(ग) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां उक्त प्ररूप पति-पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को सरांशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के अनुसार ऐसे सरांशीकरण के लिए बाद में स्वयं आवेदन नहीं करता।”

6. उक्त नियमों के, नियम 59 में,-

- (क) उपनियम (1) में “प्ररूप 4 और प्ररूप 6” के स्थान पर क्रमशः “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा;
 (ख) उपनियम (2) में “नियम 58 में निर्दिष्ट प्ररूपों” के स्थान पर “नियम 58 में निर्दिष्ट प्ररूप” रखा जाएगा।

7. उक्त नियमों के, नियम 60 में,-

- (क) उपनियम (1) के खंड (i) में “प्ररूप 4, प्ररूप 6 और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध की प्रतियां” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा;
 (ख) उपनियम (3) में, “प्ररूपों में से प्रत्येक की एक प्रति” के स्थान पर “प्ररूप और फॉर्मेट की प्रतियां” रखा जाएगा;
 (ग) उपनियम (4) में, “प्ररूप 4 और प्ररूप 6” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के, नियम 62 के उपनियम (6) के खंड (क) में “प्ररूप 4 और प्ररूप 6” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों के, नियम 63 में, उपनियम (4) के खंड (क) और खंड (ख) में “फॉर्मेट 9” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों के, नियम 80 के उपनियम (5) में,

(i) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, तो कुटुंब का ऐसा सदस्य जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन किया गया था, को प्ररूप 10 के स्थान पर प्ररूप 6-क जमा करने की अनुज्ञा दी जाएगी और कुटुंब के उक्त सदस्य को प्ररूप 6-क में अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।”

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) कार्यालयाध्यक्ष यथास्थिति प्ररूप 4, प्ररूप 10, फॉर्मेट 9 और फॉर्मेट 13 (यदि लागू हो) या प्ररूप 6-क को प्ररूप 7 और फॉर्मेट 10 में एक अग्रेषण पत्र के साथ लेखाधिकारी को पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन यदि लागू हो, के प्राधिकरण के लिए भेजेगा।”;

11. उक्त नियमों के प्ररूप 4 के पैरा 1 में “प्ररूप 6 के साथ” के स्थान पर “प्ररूप 6-क में” में रखा जाएगा।

12. उक्त नियमों में, “प्ररूप 6” के स्थान पर “प्ररूप 6-क” रखा जाएगा।

13. उक्त नियमों के, प्ररूप 7 में “प्ररूप-7 सेवानिवृत्ति देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालयाध्यक्ष के लिए जांच सूची” उपशीर्ष के अधीन, मद 9 और मद 10 का लोप किया जाएगा।

14. उक्त नियमों के, फॉर्मेट 10 में “संलग्नक” उपशीर्ष के अधीन,-

(क) मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2. प्ररूप 6-क या प्ररूप 10”

(ख) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. प्ररूप 10 की दशा में, प्ररूप 4 में कुटुंब का ब्यौरा तथा फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध”

(ग) मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4. संलग्नकों और जांचसूची सहित विधिवत रूप से भरा हुआ प्ररूप 7 या प्ररूप 11”

[फा. सं. 55/13/2023-पी&पीडब्ल्यू(सी)]

ध्रुवज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

प्ररूप 6-क

[नियम 50, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63 और 80 देखें]

क. सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्रास की जाने वाली विशिष्टियां

फोटो

1. सरकारी कर्मचारी का विवरण:

नाम		पदनाम/ रैंक	
जन्मतिथि		सेवानिवृत्ति की तारीख	
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय		पैन नंबर	
आधार नंबर		राष्ट्रीयता	

2. भविष्य में पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का पता :

फ्लैट/मकान नंबर/बिल्डिंग का नाम		स्ट्रीट/अवस्थान	
गांव एवं डाकघर/ब्लॉक		नगर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
मोबाइल नंबर		टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)	
ई-मेल आईडी		वैकल्पिक ई-मेल आईडी	

3. बैंक का विवरण जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी है:

खाता का प्रकार	एकल/ पति या पत्नी के साथ संयुक्त	खाता संख्या	
बैंक का नाम		शाखा का पता	
आईएफएससी			
<p>टिप्पण 1: कृपया खाता धारक का नाम दर्शाने वाली पासबुक के पृथम पृष्ठ/रद्द किए गए चेक/दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें। (बैंक खाते, इस फॉर्म और कार्यालय के रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।)</p> <p>टिप्पण 2: कृपया सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक है।</p> <p>टिप्पण 3: यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस आवश्यकता में छूट दी जा सकती है।</p>			

4. सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से इस प्ररूप को जमा करने के लिए नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य का ब्यौरा :

नाम		सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	
आधार सं.		राष्ट्रीयता	
फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
मोबाइल नंबर		दूरभाष सं.(यदि कोई हो)	
ई-मेल आईडी		सरकारी कर्मचारी द्वारा प्ररूप प्रस्तुत नहीं करने का कारण	

5. मैं अपनी पेंशन का _____ % (शब्दों में) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार संराशीकृत करने की वांछा करता हूं।

टिप्पण: कुटुंब का कोई सदस्य जिसे सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से नियम 57(3) के अधीन इस प्ररूप को जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पेंशन के प्रतिशत के संराशीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

6. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सैन्य या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि : हां/नहीं

7. क्या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

8. क्या सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय में पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) प्राप्त करना चाहता है? हां/नहीं

घोषणाएं

(जो लागू हो, उस कथन पर सही का निशान लगाएं)

(1) मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट हूं।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट नहीं हूं और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(2) मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट हूं।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट नहीं हूं और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(3) मुझे ज्ञात है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार कुटुंब पेंशनभोगी का / आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

संलग्नक : संलग्न सूची के अनुसार

टिप्पण 1: पेंशन का संराशीकरण स्वैच्छिक है। यदि सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन के प्रतिशत का संराशीकरण कराने का इच्छुक नहीं है तो मद 5 को काट दिया जाए।

टिप्पण 2: यदि सेवानिवृत्त होने वाला/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस प्ररूप को जमा करने के बाद पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करने का इच्छुक हो, तो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के प्ररूप 1-क में सेवानिवृत्ति पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन करना अपेक्षित है।

टिप्पण 3: अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अशक्त पेंशन/अनुकंपा भत्ता की दशा में एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के प्ररूप -2 में आवेदन किया जाएगा।

टिप्पण 4: आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

ख-1 कुटुंब के सदस्यों का विवरण

[नियम 50(15), 57, 58, 59, 60, 62, और 80 देखें]

- पति/पत्नी सहित कुटुंब के सभी सदस्यों (चाहे वे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं, जो जीवित हैं) के विवरण दिए जाएं जिसके अंतर्गत सभी बच्चों, माता-पिता/सास-ससुर और निःशक्त भाई-बहन (सभी भाई और बहन) सम्मिलित हैं।
- कुटुंब के किसी सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के विषय में तथ्य को भी 'टिप्पणी' स्तंभ में उपदर्शित किया जाए।
- पत्नी और पति में न्यायिक रूप से पृथक पत्नी और पति सम्मिलित होंगे।

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	आधार सं.	सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणी
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

टिप्पण: -

- सेवा पुस्तिका में शामिल नहीं किए गए नए नाम जोड़े जाने के मामले में, जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- यदि सरकारी कर्मचारी और उसके पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्ररूप 6-क प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से प्रस्तुत कुटुंब के सदस्य के विवरण को, विवरण में जोड़ा जाएगा और कुटुंब के सदस्य के विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

ख. II क्या उपरोक्तानुसार कुटुंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अलावा), को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है अर्थात स्थायी रूप से निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/स्थायी रूप से निःशक्त भाई-बहन [नियम 63(1) और 79(2)]: हां/नहीं।

यदि हां, तो कृपया सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य(यों) के ब्यौरे निम्नानुसार प्रस्तुत करें :

सह-प्राधिकृत किए जाने वाले कुटुंब के सदस्यों का नाम				
फोटो				

क्रम सं.	सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य का नाम	पैन	हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप	पहचान का व्यक्तिगत निशान	अन्य स्रोतों से पेंशन/कुटुंब पेंशन का विवरण (यदि कोई हो)	पता	टेलीफोन/ मोबाइल सं. और ई-मेल आईडी	बैंक खाते का विवरण (वैकल्पिक)	शाखा का पता (यदि बैंक खाते का विवरण दिया गया है)
1								खाता संख्या आईएफएससी	
2								खाता संख्या आईएफएससी	
3								खाता संख्या आईएफएससी	

ख. III यदि सह-प्राधिकृत किए जाने वाला कुटुंब का सदस्य मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है तो संरक्षक/नामनिर्देशिती का विवरण, जहां भी लागू हो :

क्रम सं.	सहप्राधिकृत - कुटुंब के सदस्य का नाम	संरक्षक/ नामनिर्देशिती का नाम	संरक्षक/ नामनिर्देशिती की जन्मतिथि	आधार नं.	पैन नं.	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	मानसिक रूप से निःशक्त कुटुंब के सदस्य के साथ संबंध	दूरभाष/ मोबाइल नं. मेल-और ई	पता
1									
2									
3									

टिप्पण:-

- स्थायी रूप से निःशक्त बालक/बालकों/भाई-बहन और/या आश्रित माता-पिता के नाम पीपीओ में तभी जोड़े जाएंगे, यदि कुटुंब पेंशन के लिए कोई अन्य पात्र पूर्व दावेदार नहीं है।
- कुटुंब के किसी अन्य सदस्य के मामले में सह-प्राधिकार अमान्य हो जाएगा यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य से पहले कुटुंब पेंशन का हकदार हो जाता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है।

- दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि दावाकर्ता अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो उसे नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- पहचान का प्रमाण।
- पेंशनभोगी के साथ संबंध का प्रमाण।
- जन्मतिथि दर्शाने वाला अन्य प्रमाणपत्र।
- स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रूफ की एक प्रति।
- संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए यदि कुटुंब का सदस्य अवयस्क है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है)

7. यदि संरक्षक हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज़ पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।

8. कुटुंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न, जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाण पत्र, जिसके न होने पर, आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।

ग. उपदान, सामान्य भविष्य निधि और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप।

[केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 46, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 का नियम 5 और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 का पैरा 19.7 देखें]

i. कोई उपदान जिसका भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 44 और नियम 45 के अधीन प्राधिकृत किया जाए,

ii. कोई रकम जो मेरे सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा हो

iii. कोई रकम जो केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संस्वीकृत की जाए।

लाभ का प्रकार	नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तम्भ (2) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तम्भ (6) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उपदान								
सामान्य भविष्य निधि								
समूह बीमा योजना								

ये नामनिर्देशन मेरे द्वारा पूर्व में किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिकांत करेंगे।

टिप्पण:-

(i) यदि प्ररूप 6-क सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से प्रस्तुत नामनिर्देशन को विवरण में जोड़ा जाएगा और नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ii) पूर्ण रकम के अंश के अंतर्गत नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय सारी रकम आ जानी चाहिए।

घ. (पेंशन के बकाया और पेंशन के संराशीकरण के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप)

[पेंशन के बकाया का संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

i. पेंशन का बकाया

ii. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

लाभ का प्रकार	नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तम्भ (2) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तम्भ (6) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पेंशन का संराशीकृत मूल्य								
पेंशन का बकाया								

ये नामनिर्देशन मेरे द्वारा पूर्व में किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिक्रांत करेंगे।

टिप्पण : पूर्ण रकम के अंश के अंतर्गत नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय सारी रकम आ जानी चाहिए।

ङ किसी आसूचना या सुरक्षा संबंधित संगठन(नों) में कार्य कर चुके सरकारी कर्मचारियों द्वारा वचनबंध।

(नियम 7 के उप-नियम(4) का खंड(ख) देखिए)

मैं,, जिसने (संगठन का नाम) में दिनांक से तक की अवधि के लिए पद पर कार्य किया है, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि सेवा में रहते हुए या मेरी सेवानिवृत्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना, मैं ऐसी कोई भी सूचना या सामग्री या जानकारी का प्रकाशन नहीं करूंगा जो संगठन के कार्यक्षेत्र से संबंधित है और उक्त संगठन में मेरे कार्य करने के आधार पर प्राप्त की गई है। यह घोषणा यथास्थिति, सुसंगत आचरण नियमों, पेंशन नियमों, शासकीय गुप्त बातों या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों से संबंधित कानूनों और आसूचना संगठन (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1985 (1985 का 58) के निबंधनों के अनुसार मेरी जिम्मेदारियों और दायित्वों के बावजूद है। मैं आगे सहमत हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त वचनबंध की किसी भी विफलता की स्थिति में, सरकार का निर्णय कि क्या इससे उपर्युक्त पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

2. मुझे ज्ञात है कि सुसंगत पेंशन नियमों के निबंधनों के अनुसार, जो पेंशन मुझे सेवानिवृत्ति के पश्चात् दी जा सकती है, इस वचनबंध की किसी भी विफलता के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से रोकी या वापस ली जा सकती है।

टिप्पण :-

- (i) अन्य मंत्रालय/विभाग संगठन के लिए लागू नहीं होता लिखें
- (ii) यदि प्ररूप किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से भरा जा रहा है तो इस भाग को काटा जाए।

च. सेवानिवृत्ति के पश्चात् केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने या नियत चिकित्सा भत्ता के लिए विकल्प

मैं निम्नलिखित प्रसुविधा के लिए विकल्प देता हूँ	
i. मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के भीतर निवास करूंगा और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा।	
ii. मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के भीतर निवास करूंगा किंतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ कि मैं नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) के लिए पात्र नहीं होऊंगा।	
iii. मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करूंगा किंतु अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) और बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) उपचार के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा। मैं नियत चिकित्सा भत्ता के लिए पात्र नहीं होऊंगा।	
iv. मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करूंगा किंतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदानों का संदाय करके ही आईपीडी उपचार के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा। मैं ओपीडी उपचार के लिए नियत चिकित्सा भत्ता का भी लाभ लूंगा।	
v. मैं गैर-केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में निवास करूंगा और आईपीडी उपचार तथा ओपीडी उपचार दोनों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं लूंगा। मैं नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ लूंगा।	
vi. मैं अपने पति/पत्नी/कुटुंब सदस्यों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लूंगा जो सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय का कर्मचारी है/पेंशनभोगी है। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं लूंगा।	
vii. मैं पूर्व संगठन की चिकित्सा सुविधा का लाभ लूंगा। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं लूंगा।	
viii मैं पूर्व संगठन की चिकित्सा सुविधा/ईसीएचएस सुविधा/अन्य स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लूंगा। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं लूंगा।	

छ. वचनबंध

(नियम 57, 58, 60, 63, और 80 देखें)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

.....

.....

मेरे अनुरोध पर, आपके पास मेरे खाते में प्रत्येक मास जमा करके मुझे पेंशन/कुटुंब पेंशन का संदाय करने के लिए सहमत होने पर, मैं, अधोहस्ताक्षरी, किसी ऐसी रकम जिसका मैं हकदार नहीं हूँ या कोई ऐसी रकम जो मेरे खाते में उस रकम से जिसका मैं हकदार हूँ या होगा, अधिक जमा की गई हो, को वापस करने या उसकी पूर्ति करने के लिए सहमत हूँ और इसका वचन देता हूँ। मैं अपने और अपने वारिसों, उत्तराधिकारी, निष्पादकों और प्रशासकों से आबद्ध करने के लिए इस योजना के तहत मेरी पेंशन/कुटुंब पेंशन को मेरे खाते में जमा करने में बैंक को हुई किसी भी हानि से और उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए और उसे बैंक (भाग क के क्रम सं. 3 में उल्लिखित) को तत्काल भुगतान करने के लिए और बैंक को मेरे उक्त खाते या बैंक के कब्जे में मेरे किसी अन्य खाते/जमा राशि को डेबिट करके देय राशि की वसूली के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करने के लिए सहमत हूँ और इसका वचन देता हूँ।

2. पति/पत्नी की जन्म की तारीख है और उसके पहचान का चिन्ह..... है।

ज. सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस प्ररूप के बिंदु क से छ तक मेरे द्वारा दिए गए विवरण और घोषणाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक:

स्थान:

सरकारी कर्मचारी/इस प्ररूप को प्रस्तुत करने के लिए
परिवार के प्राधिकृत सदस्य (नाम सहित) के हस्ताक्षर

सरकारी सेवक के ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्यापित किए गए और सही पाए गए।

दिनांक:

स्थान:

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्ररूप 6-क के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि दावाकर्ता अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो उसे नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
2. पति/ पत्नी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां अथवा यदि पति या पत्नी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो स्वयं के और पति या पत्नी के ऐसे परिवार के सदस्य या सदस्यों के फोटोग्राफ की तीन प्रतियों के साथ अलग-अलग फोटोग्राफ जिनके नाम सह-प्राधिकृत कुटुंब पेंशन भोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में शामिल किए जाने हैं। (फोटोग्राफ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएं)
3. अनुभव (वैकल्पिक) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप
4. पैन कार्ड की प्रति

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 868(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.सं. 770(अ) तारीख 7 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor- General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force after one hundred twenty days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, (hereinafter called the said rules), in rule 50, in sub-rule (15), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) The Government servant shall submit the up to date details of the family again in Form 6-A at the time of retirement from Government service.”.

3. In the said rules, in rule 53,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Unless otherwise exempted by a general or special order of the Government, the pension case of a Government servant shall be processed through online mode (Bhavishya/e-HRMS) and the retiring officials, who are on e-HRMS, shall submit Form 6-A through e-HRMS (only superannuation cases). Retiring Government servants, who are not on e-HRMS and for cases other than superannuation (i.e. Voluntary retirement, Premature retirement, Permanent absorption in State Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Body, Invalidation, Compulsory retirement and Dismissal/Removal from service), shall submit Form 6-A through Bhavishya.”;

(b) in sub-rule (2), in clauses (a) and (b), for “Bhavishya”, the following shall be substituted, namely:—
“online mode (Bhavishya/e-HRMS)”.

4. In the said rules, in rule 57, -

(a) in sub-rule (1), in clause (c) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(iii) advise the retiring Government servant to submit Form 6-A”;

(b) in sub-rule (2), for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) The Government servant shall submit duly completed Form 6-A to the Head of the Office, not later than six months prior to his date of retirement.”;

(c) in sub-rule (3), in clauses (a) and (b), for “Form 4 and Form 6”, shall respectively be substituted “Form 6-A”;

(d) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that where the said form is submitted by the spouse or any other member of the family, the Government servant shall not be entitled to the benefit of commutation of a percentage of pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.”

5. In the said rules, in rule 58, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A Government servant, who is retiring or has retired for reasons other than superannuation, shall submit Form 6-A to the Head of Office, immediately after the competent authority has approved such retirement or the retirement has become effective, as the case may be.”;

(b) in sub-rule (2), in clauses (a) and (b), for “Form 4 and Form 6”, “Form 6-A” shall respectively be substituted.

(c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that where the said form is submitted by the spouse or any other member of the family, the Government servant shall not be entitled to the benefit of commutation of pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.”

6. In the said rules, in rule 59, -

- (a) in sub-rule (1), for “Form 4 and Form 6”, “Form 6-A” shall respectively be substituted;
 (b) in sub-rule (2), for “rule 58 have”, “rule 58 has” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 60, -

- (a) in sub-rule (1), in clause (i), for “copies of Form 4, Form 6 and an undertaking to the Bank in Format 9”, “Form 6-A” shall be substituted;
 (b) in sub-rule (3), for “a copy of each of the Forms”, “copies of Form and Format” shall be substituted;
 (c) in sub-rule (4), for “Form 4 and Form 6”, “Form 6-A” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 62, in sub-rule (6), in clause (a) for “Form 4 and Form 6”, “Form 6-A” shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 63, in sub-rule (4), in clauses (a) and (b), for “Format 9”, “Form 6-A” shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 80, in sub-rule (5),

(i) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that if there is no member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the Government servant for payment of gratuity, shall be allowed to submit Form 6-A in place of Form 10 and the said member of the family shall indicate, the details of his or her Bank Account in Form 6-A.”;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) The Head of Office shall send Form 4, Form 10, Format 9 and Format 13 (if applicable) or Form 6-A, as the case may be, with Form 7 and a forwarding letter in Format 10, to the Accounts Officer for authorisation of pension, retirement gratuity and family pension, if applicable.”;

11. In the said rules, in Form 4, in para 1, for “along with Form 6”, “in Form 6-A” shall be substituted.

12. In the said rules, for “Form 6”, “Form 6-A” shall be substituted.

13. In the said rules, in Form 7, under the sub-heading “FORM – 7 CHECK LIST FOR HEAD OF OFFICE FOR TIMELY PROCESSING OF RETIREMENT DUES”, item 9 and item 10 shall be omitted.

14. In the said rules, in Format 10, under the sub-heading “Enclosures”, -

(a) for item 2, the following item clause shall be substituted, namely:-

“2. Form 6-A or Form 10”

(b) for item 3, the following item clause shall be substituted, namely:-

“3. In case of Form 10, details of family in Form 4 and undertaking to the Bank in Format 9”

(c) for item 4, the following item clause shall be substituted, namely:-

“4. Form 7 or Form 11 duly completed, along with enclosures and checklists.”

[F. No. 55/13/2023-P&PW(C)]

DHRUBAJYOTI SENGUPTA, Jt. Secy.

Form 6-A

[See rules 50, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63 and 80]

A. Particulars to be obtained by the Head of Office from the retiring/retired Government Servant

Photograph(s) 2.5cm x 3.5cm

1. Detail of Government servant:

Name		Designation/ Rank	
Date of birth		Date of retirement	
Ministry/Department/Office		PAN No.	
Aadhaar No		Nationality	

2. Address after retirement for future correspondence:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City & District	
State		Pin Code	
Mobile No		Telephone No.(If any)	
E-mail ID		Alternate E-mail ID	

3. Details of Bank through which Pension is to be drawn:

Type of A/c	Single/ Joint with Spouse	A/c No.	
Bank's Name		Branch Address	
IFSC			

Note 1: Please attach a copy of the first page of passbook/cancelled cheque/document showing the name of Account Holder. (The name should be the same in the bank account, this form and the office records.)

Note 2: Please ensure that the Government servant is the Primary Account holder in the Joint Account

Note 3: In case Head of Office is satisfied that it is not possible for the retiring Government servant to open a joint account for reasons beyond his / her control, this requirement may be relaxed.

4. Details of member of the family of Government servant who has been authorized under Rule 57(3) to submit this Form on behalf of the retiring/retired Government servant (if applicable):

Name		Relationship with the Government servant	
Aadhaar No.		Nationality	
Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City & District	
State		Pin Code	

Mobile No.		Telephone No.(If any)	
E-mail ID		Reason(s) for non-submission of form by government servant	

5. I desire to commute _____% (in words) of my pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

Note: A member of family who has been authorised under Rule 57(3) to submit this Form on behalf of the retiring/retired Government servant shall not be eligible to apply for commutation of pension.

6. Indicate whether family pension is also admissible from any other source - Military or State Government or Public sector undertaking/ autonomous body/ local fund under the Central or State Govt: Yes/No

7. Whether any departmental or judicial proceedings pending against the Government servant? If so, the details thereof:

8. Whether the Government servant wants to receive Pension Payment Order (PPO) in Office through Head of Office?: Yes/No

Declarations

(Tick the statement which is applicable)

(1) I am satisfied with the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under Rule 57(1)(c)

OR

I am not satisfied with the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under Rule 57(1)(c) and I have submitted a representation in this respect separately.

OR

I have not been intimated about the length of qualifying service to be reckoned for pension and gratuity.

(2) I am satisfied with the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under Rule 57(1)(c).

OR

I am not satisfied with the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity, as intimated by the Head of Office under Rule 57(1)(c) and I have submitted a representation in this respect separately.

OR

I have not been intimated about the emoluments and average emoluments to be reckoned for pension and gratuity.

(3) I am aware that future good conduct of the pensioner/family pensioner shall be an implied condition for every grant of pension/family pension and its continuance.

Enclosures: As per list attached

Note 1: *Commutation of pension is optional. Item 5 may be struck off if the retiring Government servant does not desire to commute pension.*

Note 2: *A separate application for commutation of superannuation pension in Form 1-A of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 is required to be submitted in case the retiring/retired Government servant desires to apply for commutation of pension after submission of this form.*

Note 3: *Commutation of pension after one year or for commutation of pension in case of compulsory retirement/pension/invalidpension/compassionate allowance will be applied in Form-2 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.*

Note 4: Aadhaar Number, if provided, consent to link it to bank account and also for authentication of identity from UIDAI for pension related purpose only, is presumed.

B.I Details of Family Members

[See rules 50 (15), 57, 58, 59, 60, 62 and 80]

- The details of all members of family (whether eligible for family pension or not, who are alive as on date) including spouse, all children, parents/parents in law and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.
- The fact regarding **disability** or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.
- Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

S.N.	Name	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	Aadhaar No.	Relationship with Govt. Servant	Marital Status	Remarks
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Note:

(i) In case of new addition of name, not included in service book, proof of date of birth is to be submitted.

(ii) In the case, Form 6-A is being submitted by any person other than Government servant and spouse, the family member details already submitted by the Government servant shall be added in the details and no change in the family member details shall be allowed.

B.II Whether any member of the family (**other than spouse**), as above, is proposed to be co- authorized for family pension i.e permanently disabled child/Dependent Parents/Permanently disabled siblings [Rule 63(1) and 79(2)]: Yes/No

If yes, the details regarding co-authorized family member (s) may be given as under:

Name of the family members to be co authorized				
Photograph				

S.N	Name of the family member co-authorized	PAN	Signature/ left hand thumb impression	Personal mark of identification	Details of pension/ family pension from other sources (if any)	Address	Tel/Mob No. and email ID	Details of Bank Account (optional)	Branch Address (If Bank Account details are given)
1								A/c No- IFSC-	
2								A/c No- IFSC-	
3								A/c No- IFSC-	

GPF								
GIS								

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Note:-

(i) In the case, Form 6-A is being submitted by any person other than Government servant, the nomination already submitted by the Government servant shall be added in the details and no change in the nomination shall be allowed.

(ii) The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

D. (Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

i. Arrears of Pension

ii. Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Type of Benefits	Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relationship with employee/pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB, relationship and address of alternate nominee in case the nominee under Column(2) predeceases the employee	Share to be paid to each	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Column(6) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Commutated Value of Pension								
Arrears of Pension								

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Note: The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

E. Undertaking by Government servants who have worked in any Intelligence or Security-related organization(s)

(See Clause (b) of Sub-rule (4) of Rule 7)

I,.....,who have worked in(Name of Organization(s)) on the post of.....,for the period from.....to.....,do here by solemnly declare that, save with prior approval of the Competent Authority, I shall not publish in any manner, while in service or after my retirement, any information or material or knowledge which is related to the domain of the organisation and obtained by virtue of my working in the said Organization. This declaration is notwithstanding my responsibilities and liability, in terms of the relevant conduct rules, pension rules, laws dealing with offences relating to official secrets or national security and Intelligent Organisations (Restriction of Rights) Act, 1985 (58 of 1985), as the case may be. I further agree that in the event of any failure of the above undertaking by me, the decision of the Government as to whether it was likely to prejudicially affect the aspects stated above shall be binding on me.

2. I am aware that the pension which may be granted to me after retirement, in terms of the relevant pension rules, can be withheld or withdrawn, in full or part, for any failure of this undertaking given.

Note:-

(i) Write not applicable for other Ministry/Department/Organization

(ii) In case, the form is being filled on behalf of government servant, this section may be striked down.

F. Option for availing Medical Facilities under Central Government Health Scheme or Fixed Medical Allowance after retirement.

I opt the following facility	
i. I will be residing in a CGHS area and would be availing CGHS facility	
ii. I will be residing in a CGHS area but would not be availing CGHS facility. I understand that I will not be eligible for Fixed Medical Allowance (FMA)	
iii. I will be residing in non-CGHS area but would be availing CGHS facility for In-patient Department (IPD) and Out-patient Department (OPD) treatment. I will not be eligible for FMA	
iv. I will be residing in a non-CGHS area but would be availing CGHS facility for IPD treatment only by payment of CGHS contributions. I will also avail FMA for OPD treatment.	
v. I will be residing in a non-CGHS area and would not be availing CGHS facility for both IPD treatment and OPD treatment. I will avail FMA.	
vi. I will avail medical facilities available to spouse/family members who is an employee/ pensioner of Government/PSU/Autonomous Body. I will not avail CGHS facility and FMA	
vii. Avail Medical facility of previous Organization. I will not avail CGHS facility and FMA	
viii. Avail Medical Facility of Previous Organization/ ECHS facility/other Health facility. I will not avail CGHS facility and FMA	

G. Undertaking

(See Rules 57, 58, 60, 63 and 80)

To

The Branch Manager

.....
.....

In consideration of your having, at my request, agreed to make payment of pension due to me every month by credit to my account with you. I the undersigned agree and undertake to refund or make good any amount to which I am not entitled or any amount which may be credited to my account in excess of the amount to which I am or would be entitled. I further here by undertake and agree to bind myself and my heirs, successor, executors and administrators to indemnify the bank from and against any loss, suffered or incurred by the bank in so crediting my pension to my account under the scheme and to forthwith pay the same to the bank and also irrevocably authorise the bank (mentioned at the S.No. 3 of Part A) to recover the amount due by debit to my said account or any other account/ deposits belonging to me in the possession of the bank.

2. The date of birth of spouse is _____ and her mark of identification is _____

H - Verification

I certify that the particulars and declarations given by me in points A to G of this form is true to the best of my knowledge.

Date:

Place:

**Signature of Government servant/Family member
(with name) authorised to submit this Form**

The details of the Government Servant given above are verified and found to be in the order.

Date:

Place:

Signature of HOO

List of additional Documents to be attached with Form 6-A

1. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet). If the claimant cannot sign his/her name then he/she is required to put the impression of his/her left/right thumb on the document in lieu of specimen signature.
2. Three copies of Joint photograph with spouse or, if it is not possible to submit joint photograph with spouse, separate photographs of self and spouse, along with three copies of photograph of the member or members of the family whose names are to be included in the Pension Payment Order as a co-authorised family pensioner. (Photographs to be attested by Head of Office).
3. Form for submitting details under Anubhav (optional).
4. Copy of PAN Card

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 868 (E), dated the 20th December, 2021 and were subsequently amended *vide* number G.S.R. 770 (E), dated the 7th October, 2022.

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009
 15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010
 16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।
 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिनी की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं०

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी पदनाम..... कार्यालय..... द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख, प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ खंड पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम
प्राप्ति की तारीख

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।”

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984
2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984
3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,—

(a) in rule 5,—

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely —

“(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form ‘A’ to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).”;

- (ii) sub-rule (6), shall be omitted;
- (b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms)", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;
- (c) for Form A, the following shall be substituted, namely:-

‘Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I,, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

- (i) Arrears of Pension
- (ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/pensioner	Relationship with employee/pensioner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated, under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari.....

Designation.....

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page Volume.....of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt.....

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.”

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:—

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,—
(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, "पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;
(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (इ)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का 0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए